कृषि प्रणालियां
[FARMING SYSTEMS]

कृषि प्रणाली से अर्थ
(MEANING OF FARMING SYSTEM)

कृषि प्रणाली से अर्थ कृषि करने के ढंग से है। दूसरे शब्दों में, कृषक द्वारा जिस ढंग से खेती की जाती है उस ढंग को ही कृषि प्रणाली कहते हैं। सामान्य रूप से कृषक द्वारा स्वयं या अपने परिवार की सहायता से खेती की जाती है। यह खेती करने का एक ढंग है जिसको व्यक्तिगत कृषि या पारिवारिक कृषि कहते हैं। कभी-कभी खेती सरकार द्वारा भी करायी जाती है जिसमें कृषक के रूप में मजदूर या श्रमिक कार्य करते हैं जिनको मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की खेती भी कृषि प्रणालियों में से एक है जिसे 'राजकीय कृषि' कहते हैं।

कृषि प्रणालियां या कृषि के रूप
(FARMING SYSTEMS OR FORMS OF AGRICULTURE)

कृषि के रूप या प्रणालियाँ छः प्रकार की होती हैं—(1) व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि, (2) संयुक्त कृषि, (3) सहकारी कृषि, (4) सामूहिक कृषि, (5) पूंजीवादी कृषि तथा (6) राजकीय कृषि।

(1) **व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि**—**इस प्रणाली में कृषक भूमि का स्वामी होता है तथा भूमि पर खेती स्वयं तथा परिवार की सहायता से करता है। यदि कृषक के पास भू-खण्ड बड़ा होता है तो वह श्रमिक रखकर भी कार्य कर लेता है।** इस प्रणाली में कृषक व सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता है, अर्थात् कृषक व सरकार का सीधा सम्बन्ध होता है। कृषि भूमि पर मालगुजारी सरकार वसूल करती है। **इस प्रणाली को कृषक स्वामित्व कृषि** (Peasant Proprietorship Farming) **भी कहते हैं।**

गुण—(i) **प्रेरणादायक**—यह प्रणाली उत्साहवर्द्धक है। कृषक को कार्य करने की प्रेरणा बनी रहती है, क्योंकि इस प्रणाली में लाभ व श्रम का सीधा सम्बन्ध है। (ii) **शोषण से मुक्त**—मध्यस्थों द्वारा कोई शोषण नहीं किया जाता है। (iii) **गहन कृषि व उत्पादन वृद्धि**—इसमें गहन खेती करके उत्पादन को और भी बढ़ाया जा सकता है। (iv) **आय वृद्धि**—कृषक अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। (v) **अर्थव्यवस्था के अनुकूल**—यह प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है, क्योंकि यहाँ खेतों का क्षेत्रफल छोटा होता है।

दोष—(i) **अपखण्डन व उप-विभाजन**—व्यक्तिगत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार होने से भूमि अपखण्डन एवं उप-विभाजन को बढ़ावा मिलता है। (ii) **छिपी बेरोजगारी**—कृषि पारिवारिक आधार पर किये जाने से छिपी बेरोजगारी की सम्भावना बनी रहती है। (iii) **साधनों का अभाव**—व्यक्तिगत कृषक के साधन सीमित होने से वह खेती के उन्नत साधनों को नहीं खरीद सकता है। (iv) **छोटी जोत**—जोतों का आकार प्रायः छोटा होने से बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ नहीं उठाये जा सकते हैं। (v) **उत्पादन लागत की गणना असम्भव**—पारिवारिक श्रम का प्रयोग होने से उत्पादन लागत की गणना सही नहीं हो पाती है।

(2) **संयुक्त कृषि**—**यह संगठन का वह रूप है जिससे दो या अधिक कृषक साझेदारी (न कि सरकार) के आधार पर अपने कृषि साधनों को संयुक्त करके कृषि कार्य करते हैं। जो लाभ या उत्पादन होता है उसे बराबर या किसी पूर्व-निश्चित अनुपात में बाँट लेते हैं।**

Scanned with CamScanner

गुण—(i) **बृहत् उत्पादन के लाभ**—इसमें खेती का आकार बड़ा होने से बड़े पैमाने की खेती के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। (ii) **श्रम-विभाजन के लाभ**—श्रम विभाजन का लाभ भी मिल जाता है। (iii) **आसान साख**—कृषि साख आसानी से प्राप्त हो जाती है। (iv) **समुचित निर्णय**—इस प्रणाली में समुचित निर्णय लिये जा सकते हैं, क्योंकि साझेदार कृषक परस्पर विचार विनिमय कर ही निर्णय लेते हैं।

दोष—(i) **उत्तरदायित्व का अभाव**—इनमें उत्तरदायित्व की सीमा न होने से कृषि विकास में बाधा पड़ती है। (ii) **निर्णय में देरी**—निर्णय लेने में विलम्ब हो जाता है। (iii) **छोटे कृषकों का शोषण**—छोटे कृषकों का शोषण होने की सम्भावना बनी रहती है।

(3) **सहकारी कृषि**—**सहकारी कृषि से अर्थ खेती की उस प्रणाली से है जिसमें कृषक अपने छोटे-छोटे खेतों एवं साधनों को एकत्रित कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं और उपज से प्राप्त आय का वितरण भूमि के अनुपात एवं श्रम के आधार पर करते हैं।** ऐसी खेती की देखभाल भू-स्वामियों द्वारा नियुक्त एक समिति करती है। इस प्रकार की खेती की विशेषताएं हैं। (i) **ऐच्छिक गठन**—इसमें खेतों के स्वामी स्वेच्छा से इस प्रकार की खेती करने का प्रस्ताव करते हैं और जब वे चाहें तब इस प्रकार की खेती से स्वयं को अलग कर सकते हैं। (ii) **बृहत् उत्पादन के लाभ**—सहकारी कृषि करने का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने की खेती से लाभ प्राप्त करना होता है। (iii) **आधुनिक उपकरणों व साधनों का प्रयोग सम्भव**—इसमें कृषि के आधुनिक उपकरणों एवं साधनों का उपयोग किया जा सकता है तथा सहकारी समितियों से साख-सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। (iv) **छोटे कृषकों को लाभकारी**—यह प्रणाली छोटे-छोटे कृषकों के लिए लाभकारी है।

(4) **सामूहिक कृषि**—**सामूहिक कृषि से अर्थ उस कृषि से है जिसमें किसी राजकीय नीति के अन्तर्गत छोटे भू-खण्डों को मिलाकर एक बड़ा भू-खण्ड बना दिया जाता है तथा जिस पर कृषि करने का उत्तरदायित्व एक समिति को सौंप दिया जाता है जो उस भू-खण्ड की स्वामी मानी जाती है। ऐसे भू-खण्ड पर सभी सदस्य कृषि का कार्य करते हैं तथा उनको पारिश्रमिक श्रम के आधार पर मजदूरी के रूप में बाँटा जाता है।** जो श्रमिक अच्छा काम करते हैं उन्हें विशेष बोनस या पारिश्रमिक दिया जाता है।

इस प्रकार की सामूहिक कृषि का प्रयोग पूर्व सोवियत संघ में किया गया था। वहाँ समिति के सदस्यों के घरों के आस-पास वाली कुछ भूमि उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोड़ दी गई जिससे कि वे सब्जी उगाने या अन्य घरेलू उपयोग के लिए काम में ला सकें। ऐसी कृषि सिर्फ साम्यवादी देशों में ही काम में लायी जा सकती है। प्रजातन्त्रीय देशों में यह प्रणाली सम्भव प्रतीत नहीं होती है। कुछ विद्वानों ने इस प्रणाली को भारत में लागू करने का सुझाव दिया है, लेकिन भारत जैसे प्रजातन्त्रीय देश में इसके लागू होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। यदि किसी प्रकार इसको लागू कर भी दिया जाय तो अनेक कठिनाइयाँ आ जायेंगी। भारतीय कृषक इस प्रणाली से अनभिज्ञ हैं। उन्हें अपनी पैतृक भूमि से भारी लगाव व प्रेम है। अतः वे इसको सहज ही स्वीकार नहीं करेंगे।

(5) **पूंजीवादी कृषि**—**पूंजीवादी कृषि के अन्तर्गत पूंजीपतियों, कम्पनियों व कॉरपोरेशनों के पास बड़े-बड़े भू-खण्ड होते हैं जो या तो वे स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहीत** (acquire) **कर दे दिये जाते हैं। यह पूंजीपति उन भू-खण्डों पर मजदूरों की सहायता से एवं आधुनिक तकनीकी एवं साधनों को काम में लाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं।** यह व्यवस्था अमरीका व ब्रिटेन में बहुत प्रचलित है, लेकिन भारत में भी चाय, कॉफी व रबड़ के बागानों में यह प्रणाली पायी जाती है। भारत में सैकड़ों वर्षों तक जमींदार रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी इस व्यवस्था को नहीं अपनाया।

भारत में अब जमींदारी व जागीरदारी समाप्त कर दी गयी है। अतः इस प्रकार की पूंजीवादी कृषि की सम्भावनाएँ नहीं हैं। यद्यपि इस प्रकार की प्रणाली अपनाने का सुझाव कई वर्षों से दिया जा रहा है। वर्तमान सरकार का रुख भी इस व्यवस्था को बढ़ावा देने का नहीं है। इसके दो कारण प्रतीत होते हैं। एक तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था में इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरे, इस प्रणाली को अपनाने से बेरोजगारी बढ़ेगी जिसको सरकार नहीं चाहती है।

(6) **राजकीय या सरकारी कृषि**—**जब सरकार द्वारा सभी भूमियों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया जाता है और उन भूमियों पर खेती श्रमिकों की सहायता से सरकारी कर्मचारी कराते हैं तो इस प्रकार की खेती को**

Scanned with CamScanner

राजकीय या सरकारी कृषि कहते हैं। इसमें श्रमिकों को मजदूरी निर्धारित दर से मिलती है। उत्पादन सरकार का होता है। भूमि का स्वामित्व भी सरकार का होता है।

भारत में इस प्रकार की कृषि कुछ राज्यों जैसे राजस्थान व उत्तर प्रदेश में पायी जाती है जहाँ पर उन राज्य सरकारों ने कृषकों को उन्नत बीज देने के लिए इस प्रकार के फार्म स्थापित कर रखे हैं। यह फार्म राज्य सरकारों के हैं और इन पर श्रमिकों की सहायता से कृषि की जाती है। बाद में इनका उत्पादन बीजों के रूप में बेचा जाता है।

Scanned with CamScanner